संख्या-14/2024/692/23-07-2024

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक- 09 अगस्त, 2024

विषयः-स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी के संबंध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी के संबंध में प्रस्ताव कराने विषयक अपने पत्र संख्या-102/एच0पी0सी0 दिनांक 25.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2, दिनांक 08.06.2012 को अवक्रमित करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के प्राविधानों के अनुसार लोक निर्माण विभाग में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

1. यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी।
2. यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबंध गठन के समय जमा कराया जायेगा।

3- उक्त आदेशों को लोक निर्माण विभाग की निविदाओं में लागू किया जाय।

भवदीय,

(अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in